न्यायालय अपर कलक्टर,नागौर

बइजलास श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व रेफरेन्स सं0 08/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
डोली बनाम आसण पीर जी वाके देह बएतमाम जरिये पुजारी देवीनाथ पुत्र प्रभुनाथ जाति नाथ निवासी अरनियाला तहसील मेडता जिला नागौर।		1 शंकरलाल पुत्र रामदीन 2 भंवरूराम पुत्र रामदीन फौत के कायममुकाम– 2/1 कमली पुत्री भंवरूराम 2/2 छीनादेवी पुत्री भंवरूराम 2/3 तीजुडी पुत्री भंवरूराम 2/4 फुलकी देवी पत्नी भंवरूराम 2/5 बीदामी पुत्री भंवरूराम 2/6 माधुराम पुत्र भंवरूराम 2/7 मोहनी पुत्री भंवरूराम 2/8 हापुडी पुत्री भंवरूराम 3 निम्बाराम पुत्र रामदीन 4 बालाराम पुत्र रामदीन जातियान जाट निवासीगण खेडा किशनपुरा तहसील रियाबडी जिला नागौर। 5 तहसीलदार रियाबडी तहसील–रियाबडी जिला नागौर।

उपस्थिति–

1– श्री रमेश कुमार ढाका अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

2– श्री श्याम बारूपाल अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1, 2/6, 3 व 4 की ओर से।

3– श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 05 की ओर से।

आदेश

दिनांक 16.08.2024

(1) प्रार्थी डोली बनाम आसण पीर जी वाके देह बएतमाम जरिये पुजारी देवीनाथ पुत्र प्रभुनाथ जाति नाथ निवासी अरनियाला तहसील मेडता जिला नागौर द्वारा रेफरेन्स अधीन धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर मौजा अरनियाला नवसृजित ग्राम खेडा किशनपुरा के खसरा नं. 314 रकबा 32 बीघा 17 बिस्वा भूमि को डोली बनाम आसण पीर जी की खातेदारी मे पुनः दर्ज करवाये जाने को लेकर प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2/6, 3 व 4 की ओर से श्री श्याम बारूपाल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। रेफरेंस के विचाराधीन रहते हुए वकील अप्रार्थी संख्या 1, 2/6, 3 व 4 द्वारा एक प्रारम्भिक आपत्ति दिनांक 18.01.2024 को प्रस्तुत की गई जिसका जवाब वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.08.2024 को प्रस्तुत किया गया।

2 उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी संख्या 1, 2/6, 3 व 4 द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि–

2(1) उक्त प्रकरण डोली बनाम आसन पीर जी जरिए पुजारी देवीनाथ पुत्र प्रभुनाथ की ओर से पेश किया गया है, जबकि देवीनाथ उक्त डोली मंदिर का पुजारी नहीं है न ही पुजारी होने के संबंध में उक्त प्रकरण में कोई साक्ष्य पेश की है। इसके अलावा प्राईवेट पर्सन को रेफरेन्स प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है बल्कि रेफरेंस संबंधित तहसीलदार द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विधि अनुसार उक्त रेफरेंस चलने योग्य नहीं होने से इसी स्टेज पर निरस्त किये जाने योग्य है।

16/8/24

अपर कलक्टर, नागौर

2(2) उक्त रेफरेंस आवेदन लगभग 19–20 वर्ष पश्चात पेश किया गया है जिसके लिए प्रार्थी ने कोई मयाद आवेदन उक्त रेफरेंस आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया है ऐसी स्थिति में भी उक्त रेफरेंस आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

2(3)– अप्रार्थीगण उपरोक्त खेताय के पूर्व में खातेदार काश्तकार थे किन्तु उनका नाम गलत रूप से खातेदारी से हटा दिया गया। जिस पर अप्रार्थीगण ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष रिट पिटीशन संख्या 6605/2003 पेश की। जिसका निर्णय दिनांक 21.11.2003 को होकर उसकी पालना में तहसीलदार द्वारा पुनः नामान्तरकरण अप्रार्थीगण के नाम स्वीकृत किया गया ऐसी स्थिति में यदि प्रार्थी को किसी प्रकार की आपत्ति है तो वह सक्षम न्यायालय में चुनौती देने हेतु स्वतंत्र है किन्तु वह उक्त रेफरेंस आवेदन के जरिए विधि अनुसार कार्यवाही नहीं कर सकता। इस कारण भी उक्त रेफरेंस आवेदन इसी स्टेज पर निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2007 (2) पेज 826 से 831, आरआरटी 2009–10 (Supp.) पेज 173 से 180, आरआरटी 2012 (1) पेज 412 से 418, आरबीजे (13) 2006 पेज 466 से 471, आरबीजे (23) 2016 पेज 491 से 495, आर.आर.डी. 1996 पेज 170 से 179 तथा डी.एन.जे. 2005 (3) पेज 1270 से 1272 तक नजीरे पेश की।

3 – वकील प्रार्थी द्वारा वकील अप्रार्थीगण की बहस का जवाब देते हुए बताया कि–

3(1)– आवेदन का पैरा नम्बर 1 गलत होने से अस्वीकार हैं। यह कथन गलत है कि देवीनाथ उक्त डोली मंदिर का पुजारी नहीं हो और न ही पुजारी होने के संबंध में कोई साक्ष्य पेश की हो। बल्कि प्रार्थी के पूर्वज पूर्व में मंदिर के पुजारी थे तथा वर्तमान में प्रार्थी मंदिर का पुजारी हैं। यह कथन गलत है कि, प्राईवेट पर्सन को रेफरेंस प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं हो। बल्कि प्रार्थी प्राईवेट पर्सन नहीं होकर हितबद्व व्यक्ति है। क्योंकि, प्रार्थी मंदिर के आज दिन भी पुजारी है तथा सेवा करते है। यह कथन गलत है कि, रेफरेंस संबंधित तहसीलदार द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता हो इसलिये उक्त रेफरेंस चलने योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य हो।

3(2)– आवेदन का पैरा नम्बर 2 गलत होने से अस्वीकार है। रेफरेंस पेश करने के लिये कोई समयावधि नहीं दी गई है और उक्त भूमि मंदिर की भूमि है जिसको अप्रार्थी मयाद की अवधि का हवाला देकर हडप नहीं सकते तथा मूर्ति की ओर से कार्यवाही करने के लिए परिसीमा की कोई बाधा नहीं है। क्योंकि मंदिर/मूर्ति की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते और न ही राजस्व कर्मचारियों को मंदिर की भूमि के संबंध में किसी प्रकार की खातेदारी देने का कोई हक अधिकार है। अप्रार्थीगण उक्त प्रकरण में विलम्ब करना चाहते है इसलिए बिना किसी आधार के उक्त आवेदन पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। यह कथन गलत है कि, मियाद आवेदन रेफरेंस के साथ पेश नहीं करने से उक्त रेफरेंस निरस्त किये जाने योग्य हो।

3(3)–आवेदन का पैरा नम्बर 3 गलत होने से अस्वीकार है। यह कथन गलत है कि अप्रार्थीगण उपरोक्त खेताय के पूर्व में खातेदार काश्तकार हो और उनका नाम गलत रूप से हटा दिया गया हो। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में अप्रार्थीगण ने आधे अधूरे दस्तावेज पेश किये। क्योंकि, उक्त भूमि सम्वत 2008 की मिसल बंदोबस्त के अनुसार ही डोली की भूमि रही है। ऐसी स्थिति में सम्वत 2008 की मिसल बंदोस्त ही जब डोली बनाम आसन पीर के नाम से खातेदारी में दर्ज रही तो अप्रार्थीगण को उक्त भूमि मे किसी प्रकार से खातेदारी

16/8/24

अधिकार प्राप्त हुये। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सम्वत् 2008 से 2021 तक जो डोली बनाम आसन पीर के नाम से खातेदारी दर्ज रही उसके संबंध में किसी प्रकार का कोई आंकलन नहीं किया और न ही इस संबंध में किसी प्रकार का कोई विवेचन दिया है। बल्कि माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्तों के अनुसार मंदिर की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते तथा सम्वत् 2008 की मिसल बंदोबस्त के अनुसार पुनः खातेदारी दर्ज करने के आदेश भी दिये हुए है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण माननीय उच्च न्यायालय का गलत सहारा लेकर उक्त मंदिर की भूमि को हडप करने पर उतारू है। इसलिए मिथ्या रूप से उक्त आवेदन पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। क्योंकि मंदिर नाबालिग शाश्वत है जिसके हितों की रक्षा न्यायालय हाजा को करनी है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2021(1) पेज 570 से 578 तथा आरआरटी 2021 (2) पेज 1329 से 1331 तक नजीरे पेश की।

4 उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने गैर वाजिब देरी का सही स्पष्टीकरण और न्यायोचित कारण दिये बिना अत्याधिक देरी के बाद प्रस्तुत किया गया रेफरेन्स स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आर.आर.डी. 1996 पेज 170, एवं इसी प्रकार डी.एन.जे. 2005 (3) पेज 1270 में भी स्पष्ट किया गया है कि बिना पर्याप्त कारण के लम्बी अवधि बाद प्रस्तुत किये गये रेफरेन्स को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त रेफरेन्स करीब 20 वर्ष की देरी से प्रस्तुत किया गया है तथा इस लम्बी अवधि की देरी का कोई संतोषजनक एवं युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की रिट पिटीशन संख्या 6605/2003 निर्णय दिनांक 21.11.2003 के निर्णय की पालना में तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण अप्रार्थीगण के नाम स्वीकृत किया गया है एवं प्रार्थी ने भी ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य/आदेश न्यायालय हाजा में पेश नहीं किया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन संख्या 6605/2003 में पारित आदेश आज दिन प्रभावी नहीं हो? अतः राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा रिट पिटीशन संख्या 6605/2003 में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2003 आज दिन प्रभावी होना प्रतीत होता है तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.11.2003 की पालना में भरे गये नामान्तरकरण में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1, 2/6, 3 व 4 द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 18.01.2024 उचित आधारों पर प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है।

5 उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1, 2/6, 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपति दिनांक 18.01.2024 स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस दिनांक 06.12.2022 खारिज किया जाता है।

6 आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/8/24

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर